

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-09/2017/580

दिनांक: 13-11-2017

—आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी स्वीकृत की जाती है:—

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड/ च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1	गंगाराम कालेश्वर नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
2	ओकारलाल पालीवाल नर्स प्रथम	पाली	20.06.90	20.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
3	भगाराम सापेला नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
4	भागीरथ चन्द लोहार नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
5	रमेश चन्द छीपा नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
6	सुरेश कुमार जोशी नर्स प्रथम	पाली	19.07.90	19.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
7	मदनलाल नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
8	गोपाल शर्मा नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
9	किशोर कुमार बोस नर्स प्रथम	पाली	28.04.99	28.04.17 18 वर्ष	9300-34800	5400
10	ललित किशोर सेणचा नर्स प्रथम	पाली	18.09.89	18.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
11	रूपसिंह करणोत नर्स प्रथम	पाली	16.09.89	16.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
12	नारायण सिंह नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
13	प्रकाश पुरी गोस्वामी नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
14	चूनाराम परिहार नर्स प्रथम	पाली	25.06.90	25.06.17 27 वर्ष	15600-39100	6000

15	समदर सिंह नर्स प्रथम	पाली	16.09.89	16.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000
16	लक्ष्मण राम नर्स प्रथम	पाली	06.07.90	06.07.17 27 वर्ष	15600-39100	6000
17	दुर्गा शंकर शर्मा नर्स प्रथम	पाली	16.09.89	16.09.16 27 वर्ष	15600-39100	6000

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होंगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारंभ से ही शून्य होगा।

~~84~~

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 13-11-2017

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/एसीपी/पार्ट-09/2017/580

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, पाली।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देसूरी, जैतारण, खांसी (पाली)।
4. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश की प्रति आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर